कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,कौशाम्बी।

पत्रांक सं0–स0शि0अ0 / के0जी0बी0वि0 चयन / /2022–23 दिनांक

विज्ञप्ति

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा निशातगंज, लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0वि0 / 11308 / 2022–23 दिनांक 14.02.2023 तथा शासनादेश सं0 2805 / 68–5–2023–05 / 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 01 फरवरी 2023 एवं शासनादेश संख्या–1553 / 68–5–2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, दिनांक 11.12.2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोंपरान्त जनपद कौशाम्बी में संचालित 08 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए शैक्षिक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी, मंझनपुर के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। दिनांक 05.06.2023 की सायं 5.00 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएगें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण / अपठनीय तथा शैक्षिक अभिलेख व अन्य अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. स.	पद नाम	विषय	कुल पद	आरक्षण की श्रेणी			नियत मानदेय प्रतिमाह (रुपया में)	अनिवार्य शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता
				अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति		
1	पूर्णकालिक शिक्षिका	हिन्दी	03	01	01	01	22000.00	हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. / समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।
2	पूर्णकालिक शिक्षिका	गणित	05	02	02	01	22000.00	पी.सी.एम. वर्ग से स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. / समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।
3	पूर्णकालिक शिक्षिका	विज्ञान	02	01	00	01	22000.00	जेड.बी.सी. वर्ग से स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. / समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।
5	पूर्णकालिक शिक्षिका	अंग्रेजी विषय	04	01	02	01	22000.00	अंग्रेजी विषय से स्नातक उपाधि तथा एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. / समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण ।
6	अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका	कम्प्यूटर	06	04	01	01	9800.00	प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. / समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी.जी.डी.सी.ए. / बी.सी.ए. / बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी.ओ.ई.ए.सी.सी. या समकक्ष संस्था से 'ओ लेवल' / 'ए लेवल' डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
7	अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका	स्काउट गाइड एवं शा0 शिक्षा	03	03	00	00	9800.00	स्नातक के साथ बी.पी.एड. / सी.पी.एड. / डी.पी.एड.।

8	अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका	कला, क्राफ्ट एवं संगीत /गृह शिल्प	06	03	01	02	9800.00	सम्बन्धित विषय से स्नातक उपाधि सहित एन.सी.टी.ई. से मान्य बी.एड. /समकक्ष एल.टी. इत्यादि प्रशिक्षण।
9	लेखाकार	—	02	02	00	00	11,000.00	स्नातक वाणिज्य तथा एम.एस. आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य है। डी.ओ.ई.ए.सी.सी. या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा मे 'ओ लेवल' डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
	सहायक रसोइयां	—	01	00	00	01	5175.00	कक्षा 8 उत्तीर्ण। शारीरिक रुप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए ।

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01 अपैल 2023 को 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिये तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

नोट—आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियों से संबन्धित दिशा निर्देश/नियम शर्तें जनपद की बेबसाईट **www.kaushambi.nic.in** से डाउनलोड किये जा सकते है। उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।

(विनय कुमार प्रजापति)
प्र0 सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी
समग्र शिक्षा

(प्रकाश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

पृ0सं0:—स0शि0अ0/के0जी0बी0वि0 चयन/ 782 /2023—24 दिनांक 19.05.23

प्रतिलिपिः सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" एवं "दैनिक जागरण" कौशाम्बी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को आगामी अंक के प्रदेश स्तर पर न्यूनतम आकार एवं सरकारी दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(विनय कुमार प्रजापति)
प्र0 सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी
समग्र शिक्षा

19/05/23
(प्रकाश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

निर्देश एवं शर्तें

01. 01.04.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

02. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किये जाने का प्राविधान है:–

क्र.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1.	हाई स्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 10/100
2.	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 10/100
3.	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 20/100
4.	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत x 30/100
5.	भारांक के0जी0बी0वी0 में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो।
नोटः–(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। (ख) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।		

03. सहायक रसोइया, का चयन साक्षात्कार के माध्यम से समिति द्वारा किया जायेगा।

04. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हों किन्तु शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित रही हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका 60 वर्ष से अधिक न हो।

05. उपरोक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन/शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।

06. राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

07. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हों किन्तु शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित रही हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0 के0जी0बी0वि0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2023 के पूर्व कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नही होगी। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

08. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसी शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखती हों किन्तु शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित रही हैं, उन शिक्षिकाओं द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नही दिया जायेगा। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

09. समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा। पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होंगे, चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया तथा सहायक रसोइयां को विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ निवास करना अनिवार्य है।

10. किसी सेवा में बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नही होंगे।

11. अभ्यर्थि आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट की 02 फोटोग्राफ, स्वप्रमाणित किये गये समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा 02 लिफाफे पत्राचार का पता लिखते हुए जिस पर रू0 42/– का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें।

12. एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

13. रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ सकती है।

14. वर्ष 2020–21 में निर्धारित अर्हता रखने वाले किन्तु नवीन संविदा से वंचित अभ्यर्थियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षण का अनुभव (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र संलग्न करें)

15. गुणांकों के आंगणन हेतु अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। संलग्न न होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

16. सभी नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।

17. आरक्षण का दावा करने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगें।

18. शासनादेश सं0 2805/68–5–2023–05/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 01 फरवरी 2023 एवं शासनादेश संख्या–1553/68–5–2020, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, दिनांक 11.12.2020 मे विहित व्यवस्थानुसार ही चयन प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

19. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

10.5.23

(विनय कुमार प्रजापति)
प्र0 सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी
समग्र शिक्षा, कौशाम्बी

10/05/23

(प्रकाश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

जनपद कौशाम्बी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र
वर्ष 2023–24

स्वप्रमाणित फोटो

01. आवेदित पद का नाम...
02. विषय का नाम...
03. अभ्यर्थी का नाम...
04. पिता का नाम ....
05. पति का नाम...
06. जाति / वर्ग...
07. जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)...
08. आयु (दिनांक 01.04.2023 को)......................वर्ष........................माह.........................दिन.........................
09. स्थायी. पता (निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
....पिन कोड......
10. पत्र व्यवहार का पता...
....पिन कोड....

11. दूरभाष / मोबाईल नं0..12.आधार नं0..ईमेल आई0डी..
....
12. के0जी0बी0वि0 में कार्य करने का अनुभव यदि कोई हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें। .
13. शैक्षिक योग्यताओं का विवरण–

परीक्षा का नाम	बोर्ड / संस्था / विश्वविद्यालय	विषय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
कक्षा–8 (केवल मुख्य रसोइया / सहायक रसोइया हेतु)						
हाई स्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
बी.एड. / एल.टी. / बी.पी.एड. / सी.पी.एड. / डी.पी.एड.						
टी.ई.टी. उच्च प्राथमिक स्तर						
कम्प्यूटर						
अन्य						

संलग्नकों का विवरण:–

1...5...
2...6...
3...7...
4...8...

मै घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाये सही हैं, मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नही गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनायें गलत / कूटरचित पायी जाती है अथवा कोई तथ्य गोपन किया जाता है तो मेरा चयन / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नही होगी तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

स्थान : ....
दिनांक : ....

अभ्यर्थिनी का हस्ताक्षर.............
अभ्यर्थिनी का नाम........................